<u>प्रेस नोट</u>

दिनांकः– 19.07.2024

शहर में नो–पार्किंग स्थलों व निजी अस्पतालों के बाहर खड़े रहने वाले वाहनों से आमजन को होने वाली समस्या के समाधान हेतु यातायात पुलिस जोधपुर द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही हैं। दिनांक 17.07.2024 से 19.07.2024 तक निजी अस्पतालों के बाहर व शहर में नो–पार्किंग में खड़े वाहनों के विरूद्ध चालान हेतु विशेष कार्यवाही की गई। इस 03 दिनों की कार्यवाही के दौरान शहर के निजी अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों एवं मुख्य रोड़ के बाहर नो–पार्किंग खड़े **कुल 650** वाहनों के विरूद्ध नो–पार्किंग के तहत चालान कार्यवाही की गई। निजी अस्पतालों में पार्किंग समस्या के समाधान हेतु वहां की पार्किंग व्यवस्था को चैक किया जाकर निजी अस्पताल प्रशासन को समुचित व सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था करवाने के निर्देश दिये गये।

इस सम्बन्ध में आमजन से भी अपील की जाती है कि वह बाजार व अस्पताल हेतु जाने के लिए अधिक से अधिक लोक परिवहन सेवा में लगे वाहनों (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) का उपयोग करें। निजी वाहन से बाजार जाने या किसी भी अस्पताल के अन्दर जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आपका वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क हैं, ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पड़े। यातायात पुलिस द्वारा आगामी दिनों में भी शहर में नो–पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान कार्यवाही की जायेगी।

यातायात पुलिस सदैव आपकी सेवा में ।

ओर से
(दुर्गाराम चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त,
यातायात, जोधपुर